अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 05–137/2012

अपीलार्थी – बहीसन आरा

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1714/प्रो0 दिनांक 30.11.2012 के विरूद्ध हस्तांतरित होकर इस न्यायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में आरोप यह है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा दिनांक 27.07.2012 को किशनपुर परियोजना में केन्द्र सं0– 24 मदरसा जामिया पंचायत– राजपुर का 11:10 बजे दिन में निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय केन्द्र पर मात्र 06 बच्चें ही उपस्थित पाये गए। बच्चों की अल्प उपस्थिति के संबंध में कार्यालय पत्रांक 1391/प्रो0 दिनांक 20.09.2012 द्वारा सेविका श्रीमती शबाना खातुन एवं सहायिका श्रीमती बहीसन आरा से स्पष्टीकरण की माँग भी किया गया। निर्धारित तिथि दिनांक 28.09.2012 को सेविका एवं सहायिका ने अपना – अपना स्पष्टीकरण दिया। सेविका ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि निरीक्षण की तिथि दिनांक 27.07.2012 को अचानक तबियत खराब होने के कारण सी0डी0पी0ओ0 किशनपुर से अवकाश ले ली थी। सेविका ने इसके साथ यह भी बतलाई कि गर्भवती होने के कारण मेरा अंतिम समय था अतः 27.07.2012 से 31.07.2012 तक का मातृत्व अवकाश में थी।

सहायिका ने अपने स्पष्टीकरण में बताया कि मैं केन्द्र पर उपस्थित थी एवं स्कूल पूर्व शिक्षा दिया जा रहा था, सहायिका श्रीमती बहीसन आरा ने यह भी अपने स्पष्टीकरण में बताया कि संयोगवश उक्त तिथि 27.07.2012 को ही महिला पर्यवेक्षिका नाहीदा तबस्सुम ने भी उक्त केन्द्र का निरीक्षण 12:30 बजे किया तो बच्चों की संख्या 25 थी।

अपीलवाद में लगाए गए आरोप एवं सहायिका के स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद व्यक्त करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने ज्ञापांक 1714/प्रो0 दिनांक 30.11.2012 द्वारा श्रीमती बहीसन आरा को चयन मुक्ति आदेश निर्गत किया गया।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में हुई जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष रखा। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल का आदेश न केवल quite illegal है, बल्कि आदेश में Spiritof law का भी पालन नहीं किया गया है। आदेश रूटिन मैनर में पास किया गया इसमें न्यायिक दृष्टि का उपयोग नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित केन्द्र की सेविका गर्भवती रहने पर भी उपस्थित थी, उसका अंतिम समय चल रहा था, बच्चों की संख्या उक्त समय तक 06 था जो कमशः बढ़ते–बढ़ते 12:30 बजे तक 25 हो गया था जैसा महिला पर्यवेक्षिका ने अपने निरीक्षण टिप्पणी में भी दर्ज की है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि वहीसन आरा सहायिका के चयन मुक्ति आदेश के विरूद्ध इसके पूर्व जिलाधिकारी सुपौल के न्यायालय में भी सुनवाई प्रारंभ हुई थी, जिसमें यह निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के संबंध में एवं अन्य बिन्दुओं पर मंतब्य युक्त प्रतिवेदन सी0डी0पी0ओ0 किशनपुर से भी प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु रखे, उक्त निर्देश के आलोक में डी0पी0ओ0 सुपौल ने अपने पत्रांक 225 दिनांक 02.03.2013 द्वारा सी0डी0पी0ओ0 किशनपुर से मंतब्य युक्त प्रतिवेदन बिन्दुवार प्राप्त किए अनुपालन में सी0डी0पी0ओ0 किशनपुर ने अपने पत्रांक 67 दिनांक 30.03.2013 द्वारा डी0पी0ओ0 सुपौल को प्रेषित किए है, उक्त पत्र में यह अंकित है कि सहायिका वहीसन आरा के संबंध में मेरे द्वारा स्थलीय जाँच किया गया, जाँच के क्रम में उपस्थित लाभुकों ने बताया कि दिनांक 27.07.2012 को सहायिका केन्द्र पर उपस्थित थी, केन्द्र का संचालन किया गया था, पूर्व में भी इनका कार्य संतोषप्रद रहा है। सेविका मातृत्व अवकाश में थी, सहायिका को पोषाहार बनाने का राशन उपलब्ध नहीं था, स्कूल पूर्व

शिक्षा का कार्य किया गया था, चूँकि उक्त तिथि को पोषाहार राशन नहीं था, इस लिए बच्चों की संख्या कुछ कम थी, पूर्व में निरीक्षण पंजी में सहायिका के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, अतः सहायिका को कार्य करने का मौका दिया जा सकता है।

उपरोक्त सारे विवेचनाओं पक्ष– विपक्ष को सुनने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि सहायिका श्रीमती वहीसन आरा के विरूद्ध पूर्व में भी कोई गलत टिप्पणी निरीक्षण पंजी में दर्ज नहीं है, सेविका चूँकि मातृत्व अवकाश में थी सारा दायित्व सहायिका अकेले निर्वहन कर रही थी, सहायिका का मुख्य दायित्व यह है कि लाभुक बच्चों को घर से लाना फिर कुशल पूर्वक घर वापस पहुँचाना बच्चों को घेर कर निर्धारित समय तक बिठा कर रखना संभव हो तो स्कूल पूर्व शिक्षा देना। यहाँ तक तो इन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया ही है। शबाना खातुन सेविका ने अपने लिखित बयान में खुद स्वीकार किए है कि पोषाहार बनाने हेतु सामग्री नहीं दी है, तो फिर सहायिका किस प्रकार पोषाहार बनाकर उसे खिलाती? अतः पोषाहार न देने के आरोप मे सहायिका के चयन मुक्ति आदेश देना नियम संगत प्रतीत नहीं होता है, सेविका द्वारा मातृत्व अवकाश में जाने से पूर्व पोषाहार देकर न जाने के आरोप में सेविका को एक महिने का आर्थिक दंड निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने दिया ही है, फिर सहायिका को उसी आरोप पुनः दंड देना उचित नहीं है।

अतः यह न्यायालय निम्न न्यायालय के आदेश को खंडित करते हुए सहायिका को आदेश निर्गत तिथि से अपने पद पर चयन को बरकरार रखती है, इस निर्देश के साथ कि भविष्य में केन्द्रों पर लाभुक बच्चों की संख्या अधिकतम हो इसका प्रयास ~~रखें~~ करें चूँकि बच्चें को प्रत्येक दिन लाना, एवं निर्धारित समय तक उन्हें प्रेम पूर्वक बिठाकर रखना पोषाहार बनाकर देना ही उनका मुख्य दायित्व है, इसमें किसी प्रकार की कोताही न करें। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

27.2.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

27.2.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा